THIARA DEVI SIDDHARTHA): (a) No sir.

(b) to (d) Does not arise in view of reply at (a) above.

Illness due to Administration of contaminated Intravenous Injections

292. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether a number of patients in the female surgical ward of safdarjung Hospital were seriously taken ill recently following administration of contaminated intravenous injections;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the outcome of the inquiry conducted by Government into the matter; and

(d) what action has been taken by Government for this gross negligence on the part of the hospital and against the supplier of contaminated intravenous injections?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) Eight patients admitted in the female surgical ward of safdarjung Hospital developed some adverse reactions. However, this was controlled by timely medical attention and seven patients were discharged after recovery. One patient expired due to intestinal obstruction and not due to administration of IV Fluids.

(c) and (d) Enquiry has been conducted in the matter. The enquiry report is being examined. The samples of IV fluids which caused reaction, have been sent to the Government Analyst for testing.

राममनोहर लोहिया अस्पताल में मौतें

293. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 3 और 4 नवम्बर, 1992 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ और डाक्टरों की लापरवाही से कई बच्चे मर गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि मरने वाले बच्चों के संबंधियों ने इस पर अपना तीव्र विरोध प्रकट किया;

(ग) यदि हां, तो दोषी स्टाफ और डाक्टरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न होने देने के लिये क्या कदम उठाये गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) 3 नवम्बर, 1992 को रक्ताधिक्य (कन्जेस्टिव) हृद्विकार के कारण श्वसनिकाशोथ से एक बच्चे की मृत्यु हुई और दूसरे बच्चे की 4 नवम्बर 1992 को गंभीर वायरल रक्तस्रावी ज्वर से मृत्यु हुई। 3 नवम्बर, 1992 को जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसके संबंधियों ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे की मृत्यु 4 नवम्बर, 1992 को हुई उसके परिचारकों ने उस समय विरोध प्रकट किया जब रोगी को रक्ताधान कराया जा रहा था, जिसकी सलाह गहन उपचार के अतिरिक्त दी गई थी। इन मौतों के लिए किसी कर्मचारी अथवा डाक्टर को दोषी नहीं पाया गया है।

मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम

294. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में धुंआ करने और मच्छर उन्मूलन के अन्य उपाय समुचित और पर्याप्त रूप से नहीं किये गए गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में मच्छरों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शिथिलता आ गई है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और